न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) — जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 222/2020
3. उनवान : सरकार जरिये कौशल किशोर गुप्ता प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. श्री भीमाराम धानका, उचित मूल्य दुकानदार दुकान संख्या 555डी, जयपुर शहर।
2. श्री विक्की बागडी पुत्र श्री भीमाराम धानका, प्लाट नं. 2, चौधरी कालोनी, एयरपोर्ट के सामने, सांगानेर जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 28-06-2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री कैलाश दत्त शर्मा अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी जयपुर प्रथम श्री कौशल किशोर गुप्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अप्रार्थीगण की उचित मूल्य की दुकान पर दिनांक 05.07.2014 को जब्ती की कार्यवाही कर अवैध 610 लीटर नीला केरोसीन तेल मय 2 लोहे के ड्रम, 7 प्लास्टिक जरीकेन, 34 कट्टे कुल 16.90 क्विंटल गेहूँ व टाटा एस नम्बर आरजे–14–जीई–8908 को जब्त किया गया। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य सबूत उक्त माल के संधारण के संबंध में पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। जिस पर उनकी ओर से दिनांक 08.12.2014 को अधिवक्ता श्री कैलाश दत्त शर्मा ने वकालतनामा पेश किया और दिनांक 16.02.2016 को अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश किया, जिस पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 28.06.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन एवं मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 05.07.2014 को अप्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान पर जांच कार्यवाही कर कुल अवैध 610 लीटर नीला केरोसीन तेल मय 2 लोहे के ड्रम, 7 प्लास्टिक जरीकेन, 34 कट्टे कुल 16.90 क्विंटल गेहूँ व टाटा एस नम्बर

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

आरजे–14–जीई–8908 को जब्त किये गये तथा मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित मिला। दुकान पर सरकार द्वारा निर्देशित किसी भी सूचना का प्रदर्शन किया हुआ नहीं पाया गया एवं दुकान पर उचित मूल्य दुकान से संबंधित स्टॉक, वितरण व यूनिट रजिस्टर आदि रिकार्ड भी उपलब्ध नहीं कराया गया। अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अप्रार्थी की ओर से नियुक्त मुख्तयारआम विशाल वर्मा ने मुख्य महानगर मजिस्ट्रैट, जयपुर महानगर के यहां उक्त वाहन संख्या आर.जे. 14 जी.ई. 8908 को रिलीज कराने हेतु आवेदन पत्र पेश किया, जिसे स्वीकार किया जाकर उक्त गाडी माननीय मुख्य महानगर मजिस्ट्रैट, जयपुर महानगर द्वारा दिनांक 31.07.2014 को विशाल वर्मा को रुपये 3,00,000/– के सुपुर्दगीनामें पर दी गई। साथ ही अंकित किया कि निरीक्षण के समय में दुकान बन्द थी व केरोसीन तेल का कोई स्टाक मौजूद नहीं था एवं जब्त तेल केरोसीन ना होकर डीजल है जो कि अप्रार्थी 2 के वाहन के उपयोग के लिये था। अतः नोटिस विड्रा फरमाया जाकर कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे तथा अप्रार्थीगण का अधिगृहीत डीजल वाहन तथा गेहूं या इससे विक्रित राशि मय ब्याज लौटाये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। हमने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया जिसमें पुष्ट होता है कि मौके पर जब्त 610 लीटर नीला केरोसीन तेल मय 2 लोहे के ड्रम, 7 प्लास्टिक जरीकेन, 34 कट्टे कुल 16.90 क्विंटल गेहूं अवैध रुप से भण्डारित थे, जिसके सम्बन्ध में अप्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं। जवाब में अप्रार्थी 2 का अप्रार्थी 1 से कोई संबंध नहीं होना बताया गया है जबकि अप्रार्थी 1 व 2 पिता पुत्र हैं। इसके अतिरिक्त जवाब में अप्रार्थी की दुकान बन्द होने का कथन कर प्रार्थीगण द्वारा ताला तोड कर कार्यवाही करने का निराधार आरोप लगाया गया है जिसका कोई साक्ष्य सबूत नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब में अप्रार्थी 2 का उचित मूल्य दुकान से कोई संबंध नहीं होना बताया है जबकि जवाब के पैरा 4 में अप्रार्थी 2 द्वारा निरीक्षणकर्ताओं से अनुनय विनय करने का कथन विरोधाभासी पुष्ट होता है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामान जिसमें 610 लीटर नीला केरोसीन तेल मय 2 लोहे के ड्रम, 7 प्लास्टिक जरीकेन, 34 कट्टे कुल 16.90 क्विंटल गेहुँ व टाटा एस नम्बर आरजे–14–जीई–8908 शामिल है, को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में करावें एवं पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक [illegible])
अति. जिला [illegible]
जिला मजिस्ट्रेट [illegible]
जयपुर।